दतिया जिला में अन्य 'अकृष्य भूमि' पर सामाजिक वानिकी की सम्भावनाएँ

*डॉ. एम.एस. सिसौदिया **डॉ. डी.पी.सिंह

जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव वन क्षेत्रों पर पड़ता है। जनसंख्या में अपार वृद्धि होने से उसके भोजन की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया जाता है अतः वन क्षेत्रों के बड़े भाग का सफाया किया जाता है। अतः इनका क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। हमारे देश में ईसा से लगभग तीन हजार वर्श पूर्व 80% भमि वनों से ढ़ँकी थी। मुगलकाल में सम्पूर्ण देश एक साम्राज्य के अधीन आया तथा खेती की ओर विशेश ध्यान दिया गया। वनों की सफाई करके भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया जिससे उनका अत्यधिक शोषण हुआ। वनों का सर्वाधिक शोषण ब्रिटिश काल में हुआ क्योंकि इस काल में वनों का सफाया तो हुआ किन्तु उनका पुर्नस्थापन नहीं किया गया।

इनके विनाश के कारण भूमि कटाव हो रहा है जिससे अनेक समस्याऍं उत्पन्न हो रही हैं। भूमि कटाव से नदियों में जल के साथ मृदा पहुँचने से बाढ़ों का प्रकोप होता है। वन विनाश से इमारती लकड़ी व जलाऊ लकड़ी मिलना कम हो गया है। वनों पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलना बहुत कम हो गया है।

वन वायुमण्डल की नमी को सोखते रहते हैं तथा गर्मी को कम करते हैं किन्तु इनके अभाव में वायुमण्डल अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है तथा तापमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वन विनाश से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तथा अनेक पर्यावरणीय समस्याऍं उत्पन्न हो रही हैं।

वनों की उपयोगिता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा उनके विनाश से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वनों का न केवल संरक्षण किया जाय अपितु सामाजिक वानिकी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाया जाय। इसके लिए अकृष्य भूमि का चयन किया जाय ताकि कृषि भूमि प्रभावित न हो तथा पर्याप्त मात्रा में वनों का विस्तार हो।

उद्देश्य— प्रस्तुत शोध –पत्र का उद्देश्य यह बताना है कि मानव के लिए वनों का महत्व अति प्राचीन काल से है। आदिकाल में तो मानव पूरी तरह वनों पर ही आधारित था। वह जंगलों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था फिर भी जनसंख्या की कमी होने के कारण मानव के वनों के साथ इतने अच्छे सम्बंध थे कि पारिस्थितिकी में किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं थी किन्तु मानव ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनके साथ इतनी बेरहमी से अत्याचार किए कि प्रकृति अब इसे सहन नहीं कर सकती है और इसके कुपरिणाम सामने दिखाई भी देने लगे हैं। यहॉं राष्ट्रीय वन नीति 1894 से लागू है। इसे 1952 एवं 1988 में संशोधित किया गया है। इस संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए हैं अतः सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से दतिया जिला की अकृष्य भूमि पर वृक्षों को लगाने पर बल दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण जनसंख्या की अनेकानेक समस्याओं का हल होगा । इनमें प्रमुख जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति , पशुओं के लिए चारा तथा इमारती लकड़ी की प्राप्ति होगी । इससे ग्रामीण जनसंखा को रोजगार भी प्राप्त होगा । इनके अलावा इसके माध्यम से मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तथा मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। इन सबसे ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका अदा करेंगे।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध –पत्र में दतिया जिला का चयन किया गया है। यह मध्य प्रदेष का एक छोटा – सा जिला है जो ग्वालियर सम्भाग के अन्तर्गत आता है। यह पूर्व में एक देशी रियासत था । यहॉं ओरछा राज्य के संस्थापक बुन्देलों का शासन रहा है। इस नगर के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि दंतवक्र नामक राक्षस के नाम पर इसका नाम दतिया पड़ा। दंतवक्र द्वारा स्थापित एक प्राचीन शिवलिंग की स्थापना से इसके अस्तिव का पता चलता है। कुछ लोग इसके नामकरण को नरेश दलपतराव से जोड़ते हैं। दलपतराव बुन्देला अपने पिता शुभकरण के एकमात्र संतान थे। उन्होंने इसे नगर के रूप में प्रतिष्ठित कर इसे नवीन नाम दलपत नगर दिया।

देश की स्वतंत्रता के पश्चात यह विन्ध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। 01 नवम्बर , 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप विन्ध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में किया गया। तब से अब तक यह ग्वालियर सम्भाग का एक जिला है।

गले के हार के रूप में जाना जाने वाला दतिया 25^o $20'$ उत्तरी अक्षांश से 27^o $20'$ उत्तरी अक्षांश एवं 78^o $10'$ पूर्वी देशान्तर से 78^o $45'$ पूर्वी देशान्तर तक स्थित है। यह जिला विन्ध्यन पर्वत की सुरम्य श्रेणियों में औसत समुद्र तल से 218 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 295874 हेक्टेअर है। इसमें सेवड़ा ,दतिया तथा भाण्डेर नामक तीन तहसीलें हैं। इसकी 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 664159 है। इसमें 357897 पुरुष तथा 306262 महिलाऍं हैं तथा जनसंख्या का घनत्व 224 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस जिला में 24798 हेक्टेअर में वन क्षेत्र है तथा 7405 हेक्टेअर अकृष्य भूमि है जो कुल वन क्षेत्र की 29.86 प्रतिशत है। यह प्रतिशत भाग यह स्पष्ट करता है कि इस छोटे से जिले में सामाजिक वानिकी की अपार सम्भावनाऍं हैं।

शोध–प्रविधि— प्रस्तुत शोध–पत्र द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है। ये ऑकड़े जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2006 पर आधारित हैं। ऑकड़ों की सहायता से निम्नांकित सूत्र की सहायता से सम्भाव्यता सूचकांक ज्ञात किया गया है–

$$\text{सम्भाव्यता सूचकांक} = \frac{\text{अन्य अकृष्य भूमि}}{\text{कुल वन क्षेत्र}} \text{ ग } 100$$

उक्त सूत्र की सहायता से निकाला गया सम्भाव्यता सूचकांक नीचे तालिका में दर्शाया गया है–

दतिया जिला में सामाजिक वानिकी सम्भाव्यता (2005–2006)

क्र.	तहसील/जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	वन क्षेत्र (हेक्टेअर	अन्य अकृष्य भूमि (पड़ती भूमि शामिल नहीं (हेक्टेअर)	सम्भाव्यता सूचकांक (प्रतिशत)	समाजिक वानिकी का सम्भाव्यता स्तर
1.	सेवड़ा	92619	11389	892	7.83	निम्न
2.	दतिया	137817	13409	5192	38.72	मध्यम
3.	भाण्डेर	65438	निल	1321	अनन्त	अति उच्च

स्रोत–जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2006

विश्लेषण– उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दतिया में कुल वन क्षेत्र 24798 हेक्टेअर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.38ः है। वन क्षेत्र को देखने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र

*विभागाध्यक्ष भूगोल, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया (म.प्र.)

**सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय के. आर. जी. कॉलेज, ग्वालियर

दतिया तहसील में है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.73ः भाग पर है। यहॉ अकृष्य भूमि (पड़ती भूमि को छोड़कर) 5192 हेक्टेअर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 3.77% है। यहॉ सामाजिक वानिकी का सम्भावना सूचकांक 38.72 है।

सेवड़ा तहसील में वनों का विस्तार 11389 हेक्टअर भूमि पर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 12.29% भाग पर है। यहॉ अकृष्य भूमि 892 हेक्टेअर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र की 0.96 प्रतिशत है। यहॉ सामाजिक वानिकी का सम्भाव्यता सूचकांक 7.83% है।

दतिया जिला में भाण्डेर तहसील ऐसी है जहॉ कोई भी वन क्षेत्र नहीं है जबकि यहॉ अन्य अकृष्य भूमि 1321 हेक्टेअर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 2.02% है। यहॉ की सामाजिक वानिकी सम्भाव्यता सूचकांक अनन्त है। यहॉ की अकृश्य भूमि दतिया तहसील से कम तथा सेवड़ा तहसील से अधिक है तथा सम्भाव्यता सूचकांक की दृष्टि से इस तहसील में वन क्षेत्र के विस्तार की अपार सम्भावनाऍ हैं।

सुझाव –उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दतिया जिला में सामाजिक वानिकी की सम्भावनाऍ बहुत हैं। इस हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं–

1. दतिया जिला (विशेषकर दतिया तहसील में) खतों की मेंड़ें बहुत चौड़ी हैं अतः इन पर अधिकाधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जा सकता है। इससे कृषि योग्य भूमि को प्रभावित किए बिना ही वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध हो जाएगी।

2. यहॉ बॉधों पर वृक्षारोपण वन विभाग के माध्यम से किया किया जा सकता है। इसका एक उत्तम उदाहरण अंगूरी बैराज प्रस्तुत करता है जिस पर दतिया के वन विभाग द्वारा बडी मात्रा में वृक्षारोपण कराया गया तथा बाद में इन्हें राजघाट नहर विभाग को सौंप दिया गया।

3. राजघाट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न भागों में माइनर बनाए गए हैं जिनके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण कराया जाय।

4. भाण्डेर तहसील में राजस्व विभाग द्वारा अकृष्य भूमि पर वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर कराया जा सकता है। अतः इसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए।

5. जहॉ जो वृक्ष लगे हुए हैं , वहॉ उसी प्रजाति के वृक्षों को लगाया जाय क्योंकि वहॉ की परिस्थितियॉ उसी प्रजाति के वृक्षों के लिए उपयुक्त हैं।

दतिया जिला की सामाजिक वानिकी का सम्भाव्यता स्तर (2005–2006)

6. यहॉ जामुन , बबूल , ऑवला , शीशम , नीम , इमली , पलाश , खेर ,तेंदू आदि के वृक्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7. राष्ट्रीय ग्रामीण योजना द्वारा भी इस दिशा में विचार कर वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए।

8. वृक्ष लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनका संरक्षण भी किया जाय। प्रायः देखा जाता है कि किसी कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण तो करा दिया जाता है किन्तु बाद में वृक्षों की देखभाल नहीं की जाती है अतः वे नष्ट हो जाते हैं। इन्हें आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जाता है। इसके साथ– साथ जनता भी उखाड़ देती है।

9. इसमें सन्देह नहीं है कि विभिन्न सामाजिक संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं फिर भी इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

10. वन विभाग द्वारा अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाना चाहिए ताकि वे स्वयं भी बेकार पड़ी भूमि पर वृक्ष लगा सकें।

11. दतिया एक शक्ति पीठ है अतः यहॉ बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यदि यहॉ अधिक मात्रा में वृक्ष होते हैं तो तापमान में कमी होगी ,वर्षा अधिक होगी परिणामतः पर्यावरण स्वास्थ्यवर्धक होगा और अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।

यदि वृक्षारोपण को बढावा दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा , भू प्रबंधन होगा , जल सम्बर्धन तथा संरक्षण की समुचित व्यवस्था होगी।

संदर्भ–

1- Boserup, E. (1965) : The Condition Of Agricultural Progresaas ,London Allen & Unwin
2. Chandra Shekhar ,A. R. (1976) : Agricultural Land Use and Nutrition In Rajgarh District of M.P. , Unpublished Ph. D. Thesaais , R.S.University Raipur
3. Chauhan , D.S. (1960) : Studiesaa In the Utilization Of Agricultural Land. . 4. Hussain , M.. (1979) : Agricultural Geography , Inter India Publication, Delhi.
5. Mamoria,C.B. (1960) : Agricultural Problems In India , Kitab Mahal Allahabad
6. Stamp , L.D. (1961) : A History Of Land Use In Arid Regions ,Arid Zone Resaaearch XVII Unesaaco , Paris.
7. Shafi M. (1960) : Measurement Of Agricultural Efficiency In Uttar Pradesaah.